भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 245

05 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उभयलिंगी समुदाय का स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच

245. श्रीमती फूलो देवी नेतमः
श्री प्रमोद तिवारीः
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा उभयलिंगी समुदाय के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) एचआईवी/एड्स से प्रभावित उभयलिंगी लोगों को अतिरिक्त सहायता प्रणालियों की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-IV के तहत क्या-क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास उभयलिंगी समुदाय के सदस्यों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई नीतियां, योजनाएं या अन्य उपाय हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जो 12 करोड़ गरीब परिवारों को द्वितीयक और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

लाभार्थी परिवारों की पहचान मुख्य रूप से 2011 के एसईसीसी डाटाबेस से क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चुनिंदा वंचन और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर की गई थी। जो राज्य एसईसीसी डाटाबेस के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें बचे हुए (असत्यापित) एसईसीसी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए गैर-एसईसीसी डाटाबेस का उपयोग करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है।

इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि एसईसीसी 2011 (संदर्भ अनुलग्नक - I) के तहत परिभाषित मानदंडों के अनुसार पात्र या गैर-एसईसीसी लाभार्थियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र ट्रांसजेंडर सहित कोई भी व्यक्ति योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का हकदार है।

30/11/2023 तक, ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए पीएम-जेएवाई के तहत 1.12 करोड़ रुपए राशि की कुल 761 अस्पताल दाखिला को अधिकृत किया गया है, जिसके लिए ऐसी जानकारी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, एबी पीएम-जेएवाई का लाभ सभी ट्रांसजेंडर समुदाय तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के अनुसार, ट्रांसजेंडर समुदाय हेतु एमओएसजेई द्वारा शुरू किए गए एसएमआईएलई (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रह रहे व्यक्तियों के लिए सहायता) ढांचे के तहत स्वास्थ्य परिचर्या लाभ प्रदान किया जाता है। उभयलिंगी समुदाय का कोई भी सदस्य जो उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत है, वह एबी पीएम-जेएवाई पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल में मुफ्त स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए पात्र है।

(ख): सरकार पूरे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम लागू कर रही है, जो वर्तमान में अपने पांचवें चरण में है। ट्रांसजेंडर समुदाय को एचआईवी संक्रमण ग्रस्तता के लिए उच्च जोखिम समूह (एचआरजी) में माना जाता है और एचआईवी की रोकथाम, यौन संचारित संक्रमणों के उपचार, एचआईवी परीक्षण और परिचर्या के लिए सेवाएं मुख्य रूप से नए एचआईवी संक्रमणों को कम करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप परियोजनाओं और राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के माध्यम से कार्यान्वित लिंक वर्कर योजना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, एचआईवी/एड्स से प्रभावित सभी उभयलिंगी व्यक्तियों को एआरटी केंद्रों पर मुफ्त एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) और परिचर्या के मानकों के अनुसार कलंक मुक्त और समावेशी तरीके से परिचर्या और सहायता केंद्रों के माध्यम से अतिरिक्त सहायता सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग): सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट स्तरों पर लागू राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से समर्थित देश भर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू कर रही है।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं आयुष्मान भारत-एचडब्ल्यूसी योजना के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज का हिस्सा हैं। एबी पीएम-जेएवाई 27 विभिन्न विशिष्टताओं के तहत कुल 1949 प्रक्रियाओं के अनुरूप उपचार प्रदान करता है, जिनमें से 19 प्रक्रियाएं "मानसिक विकार" विशेषज्ञता से संबंधित हैं।

देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) शुरू किया गया है।

उभयलिंगी समुदाय सहित पात्र व्यक्ति योजनाओं के तहत मुफ्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के हकदार हैं।

अनुलग्नक I

एसईसीसी 2011 के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई के तहत पात्रता के लिए मानदंडों की विस्तृत सूची

स्वत: रूप से शामिल:

1. बिना आश्रय के परिवार
2. निराश्रित / भिक्षा पर रहने वाले
3. हाथ से सफाई करने वाले परिवार
4. आदिम जनजातीय समूह
5. कानूनी रूप से रिहा बंधुआ मजदूर

ग्रामीण क्षेत्र में वंचन मानदंड:

डी1: कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरा
डी2: 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं
डी3: 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य बिना महिला मुखिया वाले परिवार
डी4: दिव्यांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं
डी5: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवार
डी7: भूमिहीन परिवार जो शारीरिक श्रम से अपनी आय का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं

शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक मानदंड:

1) कूड़ा बीनने वाला
2) भिखारी
3) घरेलू कामगार
4) स्ट्रीट वेंडर / मोची / हॉकर / सड़कों पर काम करने वाले कामगार
5) निर्माण श्रमिक/प्लंबर/मेसन/श्रम/पेंटर/वेल्डर/सुरक्षा गार्ड/कुली और अन्य हेड-लोड श्रमिक
6) स्वीपर / सफाई कर्मचारी / माली
7) घर आधारित श्रमिक / कारीगर / हस्तशिल्प कार्यकर्ता / दर्जी
8) परिवहन कामगार / ड्राइवर / कंडक्टर / ड्राइवर और कंडक्टर के हेल्पर/ कार्ट चालक / रिक्शा चालक
9) दुकान में कार्य करने वाले कामगार/ सहायक / छोटे प्रतिष्ठान में चपरासी/हेल्पर/ डिलीवरी सहायक / परिचर / वेटर
10) इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक / असेंबलर / मरम्मत करने वाले कामगार
11) वाशर-मैन / चौकीदार

*****